



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



स्मरण-पत्र

क्रमांक: एफ.29(1)(22)/मअ/क.प्र./sso-id/2017/ 4868-4900

जयपुर, दिनांक: 19/2/18

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय:- SSO ID का उपयोग अनिवार्य करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय से होने वाले समस्त विभागीय कार्यकलापों हेतु आपके द्वारा केवल SSO E-mail ID (@rajasthan.gov.in) का ही उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे।

स.दी-

(सुमन दीवान)

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर(उपनिदेशक)

महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ.29(1)(22)/मअ/क.प्र./sso-id/2017/ 4901-4903

जयपुर, दिनांक: 19/2/18

प्रतिलिपी: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित शाखा प्रभारी
3. आई.टी शाखा, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

सुमन दीवान

एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर(उपनिदेशक)

महिला अधिकारिता